गाँधी जी की बेसिक शिक्षा की पूर्व की स्थिति

Scanned with CamScanner

1. तत्कालीन-शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

(1)

अंग्रेजी शासन काल में जो शिक्षा भारतीयों के ऊपर थोपी गई वह सर्वांगीण नहीं थी। इस शिक्षा-प्रणाली से देश, समाज व व्यक्ति का कल्याण होना असम्भव था। उस शिक्षा का उद्देश्य सरकारी-व्यवस्था को चलाने के लिए बाबू बनाने का था। तत्कालीन व्यवस्था से निकला हुआ व्यक्ति शरीर से तो भारतीय होता; परन्तु हृदय एवं मस्तिष्क से विदेशी हो जाता था। लार्ड मैकाले अपने विवरण-पत्र (Macaulay's Minutes of 1835) में कहा था कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना है। उसने यह भी कहा था कि " एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक आलमारी का साहित्य भारत व अरब के सम्पूर्ण-साहित्य के बराबर महत्त्व रखता है।" अपने विचारों के क्रियान्वयन के लिए उसने केवल उच्च-वर्ग की शिक्षा का प्रस्ताव किया और कहा कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाय, जहाँ से वह स्वतः ही धीरे-धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुँच जायेगी। उच्च वर्ग की शिक्षा का समर्थन करते हुए मैकाले ने तर्क दिया कि—

" अपने सीमित साधनों में हमारे लिए यह असम्भव है कि जनसामान्य को शिक्षा देने का प्रयास करें। वर्तमान में हमें अपना प्रयास एक ऐसे वर्ग को बनाने में करना चाहिए जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच दुभाषियों का काम कर सके, जो रंग व रूप में भारतीय हों परन्तु रुचि, विचार, आदर्श तथा बुद्धि से अंग्रेज हों। इस वर्ग पर हम देशी भाषाओं को परिष्कृत करने तथा पाश्चात्य-शब्दावली के वैज्ञानिक पदों से सम्बन्धित करने एवं विशाल जनसंख्या तक ज्ञान पहुँचाने का कार्य छोड़ देंगे।"

महात्मा गाँधी की पैनी दृष्टि इस तथ्य को ताड़ गयी थी। गाँधी जी ने विचार किया कि यदि राजनैतिक-स्वराज्य मिल भी जाय, तो भी सामाजिक एवं आर्थिक स्वराज्य देश में तब तक नहीं आ सकता, जब तक कि शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल व अनुरूप नहीं बनाया जाता। इस प्रकार गाँधी ने बेसिक शिक्षा का दर्शन देश के समक्ष रखा। बेसिक शिक्षा का बुनियादी

Scanned with CamScan

शिक्षा या 'नई तालीम' उनके जीवन के समस्त शुभ कार्यों की निचोड़ थी। स्वयं उनके शब्दों में, "मैंने आज तक हिन्दुस्तान को बहुत सी चीजें दे दी हैं, उन सब में शिक्षा की यह योजना और पद्धति सबसे बड़ी चीज है और मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी चीज मैं दे सकूँगा।"

तत्कालीन शिक्षा प्रणाली (The Them Educational System) के दोष

गाँधी जी तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के दोषों से अत्यधिक खिन्न थे तथा उससे देश को बचाने के लिए एक नवीन शिक्षा पद्धति या 'नई तालीम' का विकास किया। गाँधी जी ने तत्कालीन शिक्षा के दोषों पर दृष्टिपात किया तो पाया कि यह भारत के लिए सर्वथा एवं सर्वदा के लिए हानिकर एवं अनुपयुक्त प्रणाली थी बेसिक शिक्षा के जन्म के समय अर्थात 1937 में जो शिक्षा पद्धति चल रही थी उसके प्रमुख दोष निम्नलिखित थे —

(1) जीवन से दूर :— गाँधी जी ने कहा कि वर्तमान-शिक्षा जीवन से दूर है। छात्र पाठशाला में जो कुछ पढ़ता है, उसे वह घर में प्रयोग नहीं करता। घर में कुछ सिखाया जाता है विद्यालय में कुछ। इस प्रकार के विरोधी वातावरण में बालक का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। पढ़ी-लिखी लड़कियाँ विवाह के पश्चात गृह-कार्य सम्यक प्रकार से नहीं कर पाती।

(2) संकुचित आदर्श :— शिक्षा का आदर्श छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ध्येय न होकर क्लर्क बनाना ध्येय था।

(3) सार्वभौमिक शिक्षा का अभाव :— पेस्टालाजी ने कहा था की "शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है" इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का सभी को अधिकार है परन्तु तत्कालीन शिक्षा प्रणाली जनसाधारण के लिए न होकर केवल उच्च-वर्ग के लिए थी। अतः उस समय कितने के बालक प्राइमरी-शिक्षा भी नहीं ले पाते थे।

(4) अनिवार्य शिक्षा का अभाव :— देश का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब देश का प्रत्येक-बालक कम से कम प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके।

(5) निःशुल्क शिक्षा का अभाव :— जब शिक्षा अनिवार्य की किया जायेगी तो उसे निःशुल्क करना भी अति आवश्यक

हो जाता है। तत्कालीन-शिक्षा भारतीय गरीब-परिवार के लिए महँगी पद्धती थी, इसलिए उनके बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे।

(6) पुनः निरक्षरता :— तत्कालीन समय की प्राइमरी-शिक्षा कक्षा 4 तक की होती थी अर्थात 4 वर्ष शिक्षा लेने के बाद बालक जब अपने-गृह कार्य या पारिवारिक-पेशा में लग जाता था तो पढ़ाई-लिखाई भूलकर पुनः निरक्षर हो जाता था। अतः गाँधी जी का विचार था कि जब तक 14 वर्ष की ~~आयु~~ अवस्था तक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जाती तब तक निरक्षरता दूर नहीं हो सकती।

(7) केवल एकांगी विकास :— वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल सैद्धान्तिक, पुस्तकीय, साहित्यिक एवं शास्त्रीय होने के कारण बालक का केवल बौद्धिक विकास ही कर सकती है। वस्तुतः यह शिक्षा बुद्धि का भी विकास नहीं कर पाती, क्योंकि बुद्धि का विकास इन्द्रियों के सदुपयोग से ही सम्भव है, अतः वर्तमान शिक्षा हाथ, पैर, आँख, कान, आदि का उपयोग करना नहीं सिखाती।

(8) वर्ग भेद की जननी :— वर्तमान शिक्षा-प्रणाली भारतीय समाज में वर्ग-भेद को जन्म दिया है। समाज शिक्षित-अशिक्षित, गरीब-अमीर, बाबू, गैर-बाबू इत्यादि वर्गों में बँट गया है। उच्च वर्गों के लोग निम्न वर्गों का शोषण करने लगे हैं।

(9) सामाजिकता एवं नागरिकता का अभाव :— तत्कालीन शिक्षा बालकों एवं बालिकाओं को एक अच्छा नागरिक बनाने में असफल रही है। यह शिक्षा स्वार्थपरता को जन्म दिया। व्यक्तिगत-स्वार्थ के लिए सामाजिक कल्याण को तिलान्जलि दे दी जाती थी। अतः तत्कालीन शिक्षा प्रणाली सामाजिकता एवं नागरिकता के लिए कोई कार्य नहीं किया।

(10) श्रम से घृणा :— तत्कालीन शिक्षा ने छात्रों में हाथ से काम करने की भावना नहीं भरी। छात्र पढ़लिखकर बाबू बनना पसन्द करता था

PAGE NO.
DATE:

चूँकि खेती का कार्य करने में उसे लज्जा आती थी अतः वह श्रम से घृणा करने लगता था। इस प्रकार किसी गरीब देश का विद्यार्थी हाथ के काम को घटिया समझने लगेगा तो उस देश का विकास ही अवरुद्ध हो जायेगा।

(11) गाँवों की उपेक्षा :- प्रचलित शिक्षा शहरी-जीवन का नशा भर देती थी। परिणामतः किसान का बालक भी जब शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो गाँव वापस नहीं जाना चाहता था। तथा गाँवों के तरफ किसी प्रकार का ध्यान भी नहीं देता था। अतः भारत में गाँवों की संख्या अधिक है इसलिए देहाती प्रभाव में यह भावना बाधक बनी।

(12) मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल :- तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में बालकों की अभियोग्यताओं, अभिरुचियों की ओर ध्यान नहीं था। शिक्षा-जगत में यह विचार निर्विरोध हो गया है कि 'शिक्षा बाल-केन्द्रित होनी चाहिए'। उस समय के शिक्षा में बालक के भावनाओं पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया था। तत्कालीन शिक्षा में बालक को आत्माभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता था। परिणामतः अधिकांश बालक को शिक्षालय कारागार लगता था। छात्रों व शिक्षकों के बीच उचित सम्बन्ध नहीं था।

(13) स्त्री शिक्षा की उपेक्षा :- अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया अतः अशिक्षित नारी योग्य-पत्नी और सक्षम माता नहीं हो सकती।

(14) मातृभाषा की उपेक्षा :- तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में आँग्ल-भाषा पर ही विशेष ध्यान था, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी थी। ब्रिटिश-शासन-काल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना, भारतीय-संस्कृति को मिटाना था। अंग्रेजी के बढ़ावा के कारण भारतीय-भाषाओं की ~~और~~ महत्ता न्यून हो गयी। लगभग सभी शिक्षा-शास्त्री इस मत से सहमत हैं कि बालक मातृभाषा में ही ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। गाँधी जी को इसका बहुत अत्यधिक रोष था।

(15) भारतीय संस्कृति की उपेक्षा :- ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा का उद्देश्य पाश्चात्य-संस्कृति व सभ्यता में बालकों को [illegible] था जो उपर्युक्त मैकाले के कथनों से प्रमाणित हो जाता है।

Scanned with CamScanner

(5)

बुनियादी या बेसिक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
(Historical Background of Basic Education)

(6)

बेसिक शिक्षा का जन्म — (Origin of Basic Education)

वर्तमान शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए गाँधी जी ने शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। गाँधी जी के शिक्षा सम्बन्धी विचार केवल कोरी कल्पना के परिणाम नहीं है। गाँधी जी के विचार वस्तुतः उनके शिक्षा सम्बन्धी प्रयोगों पर आधारित हैं। गाँधी जी जब अफ्रीका में थे तब सत्याग्रह आन्दोलन चलाने के लिए उन्होंने जोहान्सबर्ग से कुछ मील दूर पर एक फार्म किराये पर लिया था। इस टालस्टाय फार्म में सत्याग्रहियों के परिवार भी रहते थे। इनमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी आदि विभिन्न सम्प्रदायों के लोग थे। इन सत्याग्रहियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला गया। गाँधी जी ने ही इन बच्चों को शिक्षा देना प्रारम्भ किया। यहाँ पर बच्चों को कुछ हाथ का काम करना पड़ता था और केवल तीन ही घण्टे पढ़ाई लिखाई में दिये जाते थे। शिक्षा मातृभाषा में दी जाती थी। पुस्तकों का सहारा बहुत ही कम लिया जाता था। गाँधी जी का यह कार्यक्रम सन् 1911 ई० से 1914 ई० तक चला।

भारत आने के बाद गाँधी जी ने अपने शिक्षण के प्रयोग को बन्द नहीं किया। सन् 1915 ई० में साबरमती आश्रम में उन्होंने इस प्रयोग को जारी रखा। इस प्रकार गाँधी जी के शिक्षा सम्बन्धी विचार उनके अनुभवों पर आधारित हैं।

महात्मा गाँधी ने अपनी पुस्तक 'विद्यार्थियों से' में लिखा है कि, 'हर शिक्षा-शास्त्री तथा हर व्यक्ति जो विद्यार्थियों के लिए कुछ भी करना चाहता है उसने पूर्णतः अनुभव कर लिया है कि हमारी वर्तमान (तत्कालीन) शिक्षा-प्रणाली दूषित है। यह निर्धन-भारत की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती। यह घरेलू जीवन, ग्राम्य-जीवन में समन्वय स्थापित नहीं करती पा रही है। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा का जन्म 1921 में हुआ तब गाँधी जी ने होरहा था तब गाँधी जी ने तत्कालीन शिक्षा का विश्लेषण करते हुए कहा था कि, वर्तमान शिक्षा-प्रणाली मुख्यतः तीन कारणों से दोषपूर्ण है:—

(1) यह हृदय एवं हाथ की संस्कृति की उपेक्षा करके केवल सिर की संस्कृति तक सीमित है।

विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(2) विदेशी भाषा के माध्यम से वास्तविक शिक्षा असम्भव है क्योंकि यह विदेशी भाषा पर आधारित है।

(3) भारत सरकार अधिनियम (1935) के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सन् 1937 में प्रान्तों को प्रान्तीय स्वायत्तता दे दी गयी, जिसके फलस्वरूप देश के 9 प्रान्तों में कांग्रेसी-मंत्रिमण्डल स्थापित हुए तो इसी समय गांधी जी ने अपनी [redacted]-शिक्षा-योजना को लागू करने का विचार किया। अतः इसी सुअवसर पर उन्होंने भारतीयों का ध्यान जन-शिक्षा की ओर आकर्षित करने के विचार से अपने समाचार-पत्र 'हरिजन' में शिक्षा-सम्बन्धी लेख लिखना प्रारम्भ किया। यही लेख 'बेसिक-शिक्षा-योजना' के आधार बने। अपने लेख में उन्होंने शिक्षा विषयक विचारों को अधोलिखित शब्दों में व्यक्त किया—

"राष्ट्र के रूप में हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं कि यदि हमने शिक्षा का यह कार्यक्रम धन पर आधारित किया, तो हम राष्ट्र के प्रति शिक्षा के अपने कर्तव्यों को इस पीढ़ी में एक निश्चित समय में पूर्ण करने की आशा नहीं कर सकते हैं। अतः मैंने यह प्रस्ताव करने का साहस किया है कि शिक्षा आत्म-निर्भर होनी चाहिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, एवं आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास से है। अतः मैं बालक की शिक्षा का प्रारम्भ उसे एक उपयोगी हस्त-शिल्प सिखलाकर तथा जिस समय से वह अपनी शिक्षा आरम्भ करता है, उसी समय से उसे उत्पादन करने के योग्य बनाकर आरम्भ करना चाहता हूँ। यदि राज्य स्कूलों में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं को खरीद ले तो प्रत्येक स्कूल को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।" (हरिजन, जुलाई 31, 1937)

"As a nation we are so backward in education that we cannot hope to fulfil our obligations to the nation in this respect in a given time during this generation, if this programm is to depend on money. I have therefore made bold

even at the risk of losing a reputation for constructive ability, to suggest that education should be self-supporting. By education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man-body, mind and spirit. Literacy is not the end of education nor even the beginning. It is only one of the means whereby man and woman can be educated. Literacy in itself is no education. I would, therefore, begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. Thus every school can be made self-supporting, the condition being that the State takes over the manufacture of these schools."

Harijan, July 31, 1937

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन
(All India National Education Conference)

उपर्युक्त गाँधी जी के शिक्षा-सम्बन्धी विचारों ने देश में हलचल मचा दी। उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षा-योजना को लेकर असाधारण वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया। अतः गाँधी जी ने देश के शिक्षा-मर्मज्ञों द्वारा अपनी शिक्षा-योजना का जाँच कराना निश्चित किया। उसी समय वर्धा में 22 व 23 अक्टूबर 1937 को मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत-जयन्ती का समारोह होने वाला था। इस अवसर पर इसी रजत-जयन्ती में ही भारत के विभिन्न भागों से शिक्षा-विशेषज्ञों, राष्ट्रीय नेताओं एवं समाज-सुधारकों को आमन्त्रित किया गया जिसमें डॉ० जाकिर हुसैन, खुशाल तलकशी शाह, डॉ० सैयद महमूद, विनोबा भावे, प्रफुल्ल चन्द्र राय, काका कालेलकर, रविशङ्कर शुक्ल, आविनाश लिङ्गम, श्रीमती आशा देवी, किशोरी लाल मशरूवाला, के. जी. सैयदेन, जे. सी. कुमारप्पा, आर्यनायकम प्रभृति 80 शिक्षा-प्रेमी एकत्र हुए और गाँधी जी के पक्ष-विपक्ष में उन्होंने अपने

विचारों को रखा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वयं गाँधी जी ने किया। गम्भीर विचार-विमर्श के उपरान्त सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये जो बेसिक योजना के आधार हैं।

(1) सम्मेलन के विचार में राष्ट्र के समस्त बच्चों को सात वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। (7 से 14 वर्ष के बालक)

(2) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।

(3) सम्मेलन ने महात्मा गाँधी के द्वारा प्रस्तावित इस विचार को स्वीकार किया कि शिक्षा की प्रक्रिया इस पूरी अवधि में किसी उत्पादक शारीरिक कार्य पर केन्द्रित होनी चाहिए तथा बच्चों में विकसित की जाने वाली सभी या उन्हें दिया जाने वाला प्रशिक्षण यथासम्भव बालक के वातावरण को ध्यान में रखकर चुने गये हस्तशिल्प से सम्बन्धित होना चाहिए।

(4) सम्मेलन यह आशा करता है कि शिक्षा की यह प्रणाली अध्यापकों के वेतन का व्यय करने योग्य हो सकेगी।

जाकिर हुसैन समिति :-

सम्मेलन के उपर्युक्त प्रस्तावों (सुझावों) को पारित करने के उपरान्त सम्मेलन ने जाने-माने शिक्षा-शास्त्रियों की एक समिति का गठन बेसिक-शिक्षा की विस्तृत योजना तैयार करने के लिए किया। इस समिति के अध्यक्ष जामिया-मिलिया इस्लामिया (विश्व०) दिल्ली के आचार्य डा० जाकिर हुसैन को बनाया गया। जाकिर हुसैन समिति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस समिति ने दिसम्बर 1937 और 1938 में दो प्रतिवेदन (Report) प्रस्तुत की। प्रथम प्रतिवेदन में वर्धा-शिक्षा-योजना के आधारभूत सिद्धान्तों, उद्देश्यों, शिक्षकों तथा उनके प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन एवं निरीक्षण और कताई-बुनाई के विस्तृत पाठ्यक्रम इत्यादि का विशद व विस्तृत वर्णन किया। द्वितीय प्रतिवेदन में समस्त विषयों के पाठ्यक्रम एवं उनको आधारभूत हस्त उत्पादक कार्य से सम्बन्धित करने के उपायों पर अपना मत प्रकट किया। जाकिर हुसैन समिति ने संक्षिप्त में निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित किया—

Scanned with CamScanner

पाठ्यक्रम —

(1) आधारभूत शिल्प या दस्तकारी (इनमें से कोई एक) जैसे कताई-बुनाई, बढ़ईगिरी, बागवानी, कृषि, चर्मउद्योग, अन्य उपयोगी उद्योग।
(2) मातृभाषा (3) गणित
(4) सामाजिक विषय — (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र)
(5) सामान्य विज्ञान (प्रकृति अध्ययन, वनस्पति-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, स्वास्थ्य-विज्ञान आदि।
(6) चित्रकला (7) संगीत (8) हिन्दुस्तानी (उर्दू अथवा देवनागरी लिपि द्वारा)

इसी बीच जाकिर हुसैन समिति की प्रथम रिपोर्ट 1938 में हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिए रखा गया। इस अधिवेशन में रिपोर्ट पर बहुत वाद-विवाद हुआ।

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ :— हरिपुरा के अधिवेशन में वाद-विवाद होने के उपरान्त इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अप्रैल 1939 ई० में सेवाग्राम में 'हिन्दुस्तानी तालीमी संघ' या अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (All India National Education Board) की स्थापना की गयी। इसका हिन्दुस्तानी तालीमी संघ इसलिए नाम दिया जाता था कि गाँधी जी इस नवीन शिक्षा को 'नई तालीम' के नाम से पुकारते थे। हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया—

(1) आधारभूत शिल्प (कताई-बुनाई, काष्ठ-शिल्प, कृषि, बागवानी, चर्म शिल्प या कोई अन्य)।
(2) मातृभाषा/गणित (3) सामाजिक अध्ययन (4) सामान्य-विज्ञान (5) कला (6) संगीत (7) हिन्दुस्तानी।

साढ़े पाँच घण्टे के स्कूल अवधि को निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया गया—

शिल्प — 3 घण्टा 20 मिनट
संगीत कला व गणित — 40 मिनट
सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान — 30 मिनट
शारीरिक शिक्षा — 10 मिनट
अल्पावकाश — 10 मिनट।

बेसिक शिक्षा की इस योजना को सन् 1938 में उन प्रान्तों में लागू कर दिया गया था जहाँ कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना हो गयी थी। प्रान्तों की इस दिशा में रुचि देखकर केन्द्रीय सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया। केन्द्रीय सरकार की "केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद्" ने इस नई योजना पर विस्तृत आख्या देने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया —

(1) प्रथम खेर समिति :— बम्बई के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बी. जी. खेर की अध्यक्षता में 1938 में इस समिति की नियुक्ति किया गया। इस खेर समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये —

आगे के पृष्ठ पर

Scanned with CamScanner

(11)

सर्व-प्रथम बेसिक शिक्षा के योजना को ग्रामीण-क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाय।

(2) बेसिक शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य हो, परन्तु 5 वर्ष की आयु वाले बच्चे भी बेसिक विद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं।

(3) बेसिक-स्कूलों को छोड़कर अन्य प्रकार के विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति बच्चों को तभी दी जाय जब वे 5वीं कक्षा पास कर लें या 11 वर्ष से अधिक आयु के हों।

(4) छात्रों को उनके मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाय।

(5) बेसिक विद्यालय का पाठ्यक्रम समाप्त करने वाले छात्रों के लिए किसी बाह्य-परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए विद्यालय की आन्तरिक-परीक्षा ही पर्याप्त होगी। इसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाण-पत्र दिये जायें।

द्वितीय खेर समिति :— 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार' ने 'प्रथम खेर समिति' की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इस समिति का उद्देश्य बेसिक-शिक्षा-प्रणाली और उच्च-शिक्षा में समन्वय स्थापित करना था। इस समिति ने भी अपने सुझाव दिये जो निम्नलिखित हैं —

(1) बेसिक शिक्षा का काल 8 वर्ष का हो। 6 वर्ष की अवस्था से 14 वर्ष की अवस्था तक के बच्चे इस शिक्षा को ग्रहण करें।

(2) 8 वर्ष की इस अवधि को दो प्रक्रमों (Stages) में विभाजित किया जाय — (अ) प्रथम प्रक्रम या जूनियर स्टेज और (ब) द्वितीय प्रक्रम या सीनियर स्टेज। प्रथम में 5 वर्ष का और द्वितीय में 3 वर्ष का शिक्षा काल हो।

(3) जब विद्यार्थी जूनियर-स्टेज की शिक्षा समाप्त कर लें अर्थात् जब वे 5वीं कक्षा पास कर लें, तभी उनको उत्तर प्राथमिक (Post Primary) शिक्षा के अन्य किसी विद्यालय में प्रवेश होने की आज्ञा दी जाय।

'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ने उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकृत किया और 1944 के सार्जेण्ट-योजना में उनको क्रियान्वित किया गया।

सन् 1945 में सेवाग्राम में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें विशेषज्ञों की एक समिति बनायी गयी। समिति ने पाठ्यक्रम में सुधार का सुझाव दिया। जनवरी

सन् 1947 में दिल्ली में आयोजित भारतीय शिक्षा सम्मेलन जिसमें तत्कालीन शिक्षामन्त्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बेसिक शिक्षा की गति को तीव्र करने पर बल दिया। 15 अगस्त सन् 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गया। स्वतंत्र भारत में बेसिक शिक्षा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना गया। महात्मा गाँधी की विचारधारा में कुछ परिवर्तन कर दिया गया। अतः स्वतंत्रता मिल जाने के उपरान्त बेसिक शिक्षा का व्यापक प्रसार करने के निमित्त अनेक प्रयत्न किये गये। नये-नये बेसिक स्कूल खोले गये। बेसिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य भी प्रारम्भ हुआ। सन् 1948 में केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री की 'बेसिक शिक्षा समिति' ने बेसिक-स्कूलों के भवन के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये। परामर्शदात्री परिषद ने भी भारत सरकार को बेसिक शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया :-

1. नवीन बेसिक स्कूलों की स्थापना।
2. तत्कालीन प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करना।
3. बेसिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।
4. बेसिक स्कूलों के भवनों के लिए सरल एवं सस्ता ढंग निकालना।

बेसिक शिक्षा की विशेषताएँ
(Characteristics of Basic Education)

बेसिक शिक्षा के निम्नलिखित विशेषताएँ थी :-

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
2. शिक्षण-केन्द्र के रूप में एक शिल्प।
3. शिक्षण का केन्द्र बालक।
4. पाठ्यक्रम के विषयों का समन्वय तथा सहसम्बन्ध।
5. जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध।
6. उत्पादन पर बल

(7) हस्तकार्य के लिए आदर का भाव।
(8) स्वावलम्बन।
(9) मनोवैज्ञानिक आधार।
(10) सामाजिक आधार।
(11) सांस्कृतिक आधार।
(12) आर्थिक आधार।
(13) श्रम का महत्त्व
(14) क्रिया-प्रधान शिक्षा।
(15) विद्यालय घर-परिवार व समाज के जीवन में सामंजस्य।
(16) नागरिकता, अहिंसा और सहकारी समुदाय के आदर्श।

बेसिक शिक्षा के दोष (Demerit of Basic Education)

बेसिक शिक्षा के निम्नलिखित दोष हैं।

(2) विशेष रूप से गाँवों के लिए।

(3) विज्ञान के आधुनिक युग में प्राचीनकालीन उद्योगों के प्रयोगों की निरर्थकता।

(4) धार्मिक शिक्षा का अभाव।

(5) विभिन्न विषयों के लिए समय का विभाजन त्रुटिपूर्ण।

(6) प्राथमिक शिक्षा पर ही अधिक बल।

बेसिक-शिक्षा-योजना के उपर्युक्त गुण-दोषों के विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'वर्धा शिक्षा-योजना' देश के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई। वस्तुतः इस निर्धन देश के लिए इससे अधिक उत्तम शिक्षा-योजना की कल्पना करना ही असम्भव था। इस योजना का देन था 'उत्पादन क्रिया का सिद्धान्त'। यह योजना गाँधी जी की दूरदर्शीता का प्रतीक एवं देश सेवा का फल था।